

*भाषा एवं भाषा की विशेषताएं।

परिचय:-

'भाषा' शब्द संस्कृत की 'भाष' धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। वैसे तो सभी जीवधारी बोलते हैं, लेकिन मानव जिस वाणी को बोलता है बिल्कुल अन्य सभी जीवों से पूरी तरह पृथक है। जीवधारियों की भाषा को विचार-विनिमय की भाषा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उनकी भाषा केवल सांकेतिक मात्र होती है, जबकि मानव की भाषा का स्वरूप केवल सांकेतिक न होकर लिखित है। विचार और भाव-विनिमय के साधन के लिखित रूप को हम वस्तुतः भाषा कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य के भावों, विचारों और

अभिप्रेत अर्थों की अभिव्यक्त के ध्वनि-प्रतीकमय साधन को भाषा कहते हैं।

भाषा की परिभाषा:-

विभिन्न भाषाशास्त्रियों द्वारा 'भाषा' के वैज्ञानिक अर्थ को स्पष्ट करते हुये उसकी भाषा निश्चित करने का प्रयास किया है। इनमें भारतीय एवं पाश्चात्य, प्राचीन एवं आधुनिक सभी वर्गों के विद्वान हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा भाषा की परिभाषाएं निम्न हैं--

डॉ. श्याम सुंदर दास के अनुसार, "मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान-प्रदान करने के लिये व्यक्त ध्वनि-संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं।"

डॉ. बाबूराम सक्सैना के अनुसार, "एक प्राणी अपने किसी अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर कुछ वक्त कर देता है, यही विस्तृत अर्थ में भाषा है।"

आचार्य किशोरीदास बाजपेयी के अनुसार, "विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द-समूह की भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं।"

डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार, "भाषा उच्चारणावयवों से उच्चरित अध्ययन विश्लेषणीय यादृच्छिक ध्वनि-प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।"

भाषा के विशेषताएं :-

भाषा के विशेषताएं निम्नलिखित हैं--

1. *मानव मुख से निसृत*

भाषा मानव मुख से निकलती है। पशु-पक्षियों की बोलियों, अंगादि द्वारा भाव-प्रकाशन तथा निरर्थक ध्वनि समूह को भाषा नहीं कहा जा सकता है। अतः मानव मुख से निकलने वाले ध्वनि-संकेतों की समष्टि अथवा व्यवस्था को 'भाषा' कहा जाता है।

2. *भाव-संप्रेषण का साधन*

भाषा भाव संप्रेषण का साधन है। भाषा के अभाव में मनुष्य संकेतों के द्वारा ही अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त कर सकता है। हम स्वयं कह सकते हैं कि गूँगे व्यक्ति की चेष्टाओं के समान ये संकेत भाव-प्रकाशन में सर्वथा अपर्याप्त ही रहते हैं। भाषा के द्वारा ही एक व्यक्ति अपने भावों को अभिव्यक्त करके दूसरों तक पहुंचा सकता है।

आपस में भावों और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।"

3. *सार्थक एवं विश्लेषणीय ध्वनि*

वे ही ध्वनियाँ भाषा के अंतर्गत आती हैं जो सार्थक होती हैं, सार्थक शब्द निर्माण करती हैं तथा जिनका विवेचन विश्लेषण किया जा सकता है।

4. *निश्चित ध्वनि रूप*

भाषा की आवृत्ति होती है। इस कारण ध्वनि रूप में निश्चितता का होना जरूरी है। ऐसा न होने पर ध्वनियों के अर्थ बदलते रहते हैं और वह निश्चित प्रयोजन की अभिव्यक्त न कर सकने के कारण भाषा नहीं कही जा सकती है।

5. *पूर्ण निर्धारित अर्थ*

भाषा के अंतर्गत आने वाली 'ध्वनि' का अर्थ परम्परागत होता है। उदाहरण के लिए 'काम' शब्द को ही लेते हैं। संस्कृत और हिन्दी में इस शब्द का अर्थ एक निश्चित रूप में स्वीकृत है-- कार्य अथवा इच्छा। परन्तु अंग्रेजी में यही ध्वनि 'काम' एक भिन्न अर्थ शांत की प्रतीति करती है। स्पष्ट है कि 'काम' शब्द का अर्थ व्यवहृत परम्परा के अनुसार ही गृहीत होगा।

6. *सामाजिकता*

भाषा का उद्भव और विकास मनुष्य की सामाजिकता के फलस्वरूप हुआ है। पारस्परिक सहयोग, संपर्क और विचार विनिमय की आकांक्षा ने ही भाषा का विकास किया है। भाषा व्यक्ति और समाज को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। मनुष्य समाज में रहकर ही भाषा का अर्जन, सम्बर्धन एवं विकास करता है।

7. *अर्जित संपत्ति*

भाषा मनुष्य को पैतृक सम्पत्ति के रूप में जन्म से ही प्राप्त नहीं होती है, बच्चे को अनुकरण और अभ्यास के द्वारा सीखनी पड़ती है। यदि किसी अंग्रेज बच्चे का पालन-पोषण हिन्दी भाषी माता-पिता करें तो वह बच्चा हिन्दी भाषी होगा, क्योंकि वह जन्म से कोई भाषा नहीं जानता है। वस्तुतः भाषा-अर्जन का कार्य तो अनवरत रूप से जीवन-पर्यन्त चलता रहता है।

निष्कर्ष:-

भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण अंग भी है। यह समय और परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती रहती है। भाषा का समुचित प्रयोग न केवल संचार को प्रभावी बनाता है, बल्कि समाज को भी सशक्त बनाता है। इसलिए भाषा का संरक्षण और संवर्धन हमारी जिम्मेदारी है।